कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकार का बेडडा (SUKAR KA BAIDDA), जिला सवाई माधोपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटागालिया (KHUNTA GALIYA,) जिला बांसवाडा किया गया, जिसके विरूद्ध श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4387/2019 श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4387/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावदेन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी की अस्वस्थता होने के कारण अपना समायोजन राउमावि जहांगीरपुर, राउमावि गेरई, जिला करौली अथवा राउमावि मकसुदनपुरा या राउमावि गोठडा खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश जारी करने में किसी तरह की नियम विरूद्धता नहीं है और न ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी किया गया है। अपीलार्थी एक ही स्थान पर पदस्थापित बने रहना चाहते है जो कि राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नही है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य(ए.आई.आर.1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है:– "In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do violate any of his legal rights."

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/गोपाल प्रसाद गुप्ता/4387/2019 **दिनांक** 03-12-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/भरतपुर संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर/बांसवाडा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सवाई माधोपुर/बासंवाडा ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner